

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्यों को औद्योगिक अल्कोहल को वनियमिति करने की अनुमति देना

प्रलिस के ललल:

[सर्वोच्च न्यायालय](#), [महतत्वपूर्ण नरिणय](#), [संवैधानकल पीठ](#), [केंद्र-राज्य संबंघ](#), [औद्योगकल अल्कोहल](#), [7वीं अनुसूची](#), [उत्पाद शुल्क](#), [वसतु और सेवा कर \(GST\)](#)

मेन्स के ललल:

भारत में संघवाद, सर्वोच्च न्यायालय के महत्त्वपूर्ण नरिणय, सहकारी संघवाद, संघवाद के ललल चुनौतलल, केंद्र और राज्यों के बीच वतलतीय संबंघ ।

[सरोत: इंडयलन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यल?

हलल ही में, [सर्वोच्च न्यायालय](#) की नल न्यायाधीशल की संवैधान पीठ ने 8:1 के बहुमत से फैसला सुनाया कल राज्यों को [औद्योगकल अल्कोहल](#) को वनियमिति करने का अधकलर है, इस फैसले में वर्ष 1990 के फैसले [\[1990\] 1 SCR 1000](#) (1990) को खलरजल कर दलया गया, जसलमें केंद्र सरकार के नरलतर्ण का समर्थन कलया गया थल ।

सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानकल पीठ क्यल है?

परचलल:

○ सर्वोच्च न्यायालय में संवैधान पीठ में पाँच या उससे अधकल न्यायाधीश होते हैं, जलनल केवल वशलषलट कलनूनी मलमलल के ललल ही आमतर्तल कलया जलतल है । ये पीठें कलई नललमतल प्रकुरलल नही हैं ।

गठन के ललल परसलथतललल:

- **अनुच्छेद 145(3): अनुच्छेद 143** के तहत महत्त्वपूर्ण संवैधानकल प्रश्नल या संदर्भल से जुड़े मलमलल पर नरिणय लेने के ललल आवश्यक न्यायाधीशल की न्यूनतम संख्या पाँच है ।
- **ववलदतल नरिणय:** जब वभलनलन तीन न्यायाधीशल की पीठल से परस्पर ववलदतल नरिणय सामने आते हैं, तो मुददे को हल करने के ललल एक वशलष संवैधान पीठ का गठन कलया जलतल है ।

औद्योगकल अल्कोहल:

- **औद्योगकल अल्कोहल मूलत:** अशुद्ध अल्कोहल है जसलका उपयोग औद्योगकल वललयक के रूप में कलया जलतल है ।
- इथेनल में बेंज़ीन, परलडलन, गैसोललन आदल जैसे रसलयनल को मललाने से (**इस प्रकुरलल को वकुरतीकरण कलहा जलतल है**) यह औद्योगकल अल्कोहल में बदल जलतल है, जसलसे इसकी कीमत कलफी कम हो जलती है जो यह मलनव उपभोग के ललल अनुपयुक्त हो जलतल है ।
- **अनुप्रयोग:** फलरमलस्यूटकलल्स, इतुर, सौंदर्य प्रसलधन और सफलई संबंधी तरल पदलरथल में उपयोग कलया जलतल है ।
 - कभी-कभी इसका उपयोग अवैध शरलब, ससुते और खतरनलक नशीले पदलरथ के नरलमलण में भी कलया जलतल है, जलनके सेवन से अंधापन और मृत्यु सहतल गंभीर खतरे उत्पन्न होते हैं ।

औद्योगकल अल्कोहल पर सर्वोच्च न्यायालय पीठ ने क्यल फैसला दलया है?

- **परभाषा का विस्तार:** बहुमत वाली पीठ ने 2017-18 के फैसले को पलट दिया है, जिसमें "मादक शराब" की परभाषा को पीने योग्य शराब तक सीमित कर दिया गया था तथा राज्यों को औद्योगिक शराब पर कर लगाने से रोक दिया गया था।
- **बहुमत की राय:** खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि "नशीली शराब" में सरिफ मादक पेय या पीने योग्य शराब ही शामिल नहीं है। सभी प्रकार की शराब जो सार्वजनिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, इस परभाषा के अंतर्गत आती है।
 - न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि शराब, अफीम और नशीली दवाओं जैसे पदार्थों का दुरुपयोग किया जा सकता है तथा फैसला सुनाया कि संसद मादक शराबों पर राज्य की शक्तियों को खत्म नहीं कर सकती है, और कहा कि "नशीली" का अर्थ "जहरीला" भी हो सकता है, जिससे व्यापक वर्गीकरण की अनुमति मिलती है।
- **असहमतपूरण राय:** न्यायमूर्ति बी.वी. नागरतना ने औद्योगिक अल्कोहल के वनियमन के संबंध में बहुमत के फैसले से असहमत वियक्त की और तर्क दिया कि केवल इसलिये कि "औद्योगिक अल्कोहल" का संभावित दुरुपयोग हो सकता है, **प्रवर्षिट 8 - सूची II** को ऐसे "औद्योगिक अल्कोहल" को शामिल करने के लिये नहीं बढ़ाया जा सकता है।
 - राज्यों को औद्योगिक अल्कोहल को वनियमन करने की अनुमति देने से अल्कोहल वनियमन के पीछे वधायी मंशा की गलत व्याख्या हो सकती है।

औद्योगिक अल्कोहल वनियमन पर केंद्र बनाम राज्यों के तर्क:


- **केंद्र सरकार का तर्क:**
 - औद्योगिक अल्कोहल को संघ सूची की प्रवर्षिट 52 के अंतर्गत "उद्योग" के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिससे केंद्र को सार्वजनिक हित में समझे जाने वाले उद्योगों को वनियमन करने की अनुमति मिल गई है।
 - इसमें कहा गया है कि औद्योगिक शराब का व्यापार, वाणज्य, आपूर्ति और वितरण समवर्ती सूची की प्रवर्षिट 33(A) के अंतर्गत आते हैं, जो केंद्रीय नगिरानी की अनुमति देता है।
 - केंद्र का कहना है कि औद्योगिक शराब उद्योग (विकास और वनियमन) अधिनियम, 1961 के अधिकार क्षेत्र में आती है, तथा दावा किया कि यह वनियमन के लिये "क्षेत्र पर कब्जा कर लेती है"। इसलिये, राज्य इस वषिय पर अपने नयिमन लागू नहीं कर सकते।
 - केंद्र का तर्क है कि औद्योगिक अल्कोहल ने वनियमन के "क्षेत्र पर अधिकार कर लिया है" जो उद्योग (विकास और वनियमन) अधिनियम, 1961 के अधीन है। इसलिये राज्य इस वषिय पर अपने कानूनों को लागू करने में असमर्थ हैं।
- **राज्यों का तर्क:**
 - राज्य सूची की प्रवर्षिट 8 के अंतर्गत वनियमन के लिये तर्क देने के साथ मदरि पर कर लगाने के अधिकार पर बल दिया गया, जिसमें औद्योगिक मदरि भी शामिल है।
 - राज्यों द्वारा अवैध उपभोग से नपिटने और राजस्व उत्पन्न करने के लिये प्राधिकार बनाए रखने की आवश्यकता (वशेष रूप से GST के कार्यान्वयन के बाद) है।

राज्यों के लिये शराब पर कर लगाने का महत्त्व

- **राजस्व सृजन:** शराब पर कर लगाना राज्यों के लिये राजस्व का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है। उदाहरण के लिये वर्ष 2023 में कर्नाटक ने भारत नरिमति शराब (IML) पर अतरिकित उत्पाद शुल्क (AED) 20% तक बढ़ा दिया।
- **वत्तीय नरिभरता:** महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्य अपने राजस्व का एक प्रमुख हस्सा शराब करों से प्राप्त करते हैं, जो उनके कुल उत्पाद शुल्क राजस्व का लगभग 30-40% है।
- **लोक सेवाओं का वत्तपोषण:** शराब पर कर का उपयोग स्वास्थ्य सेवा और शक्ति सहित आवश्यक लोक सेवाओं के वत्तपोषण के लिये किया जाता है।

THE GOLDEN GOOSE

Major states collected more than ₹2 trillion under state excise in 2021-22.



*BE figure for 21-22 used as RE figure was not available

Source: RBI, PRS

उद्योग (विकास और वनियमन) अधिनियम, 1951

- उद्योग (विकास और वनियमन) अधिनियम, 1951 भारत में औद्योगिक विकास और वनियमन के लिये वधिक और वैचारिक ढाँचा प्रदान करता है।
- इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य:
 - देश में उद्योगों के विकास को नयित्तरति और नरिदेशति करना,
 - नषिपक्ष संसाधन वतिरण को बढावा देना,
 - आर्थिक शक्ति संकेन्द्रण से बचना,
 - संतुलति एवं नयित्तरति औद्योगिक वसितार को महत्त्व देना।
- यह अधिनियम केन्द्र सरकार को नमिनलखिति शक्तियाँ प्रदान करता है:
 - कुछ उद्योगों के उत्पादन, आपूर्ति और वतिरण को वनियमति करना
 - नये उद्योगों की स्थापना पर प्रतबिध लगाना
 - उद्योगों को संचालन हेतु लाइसेंस प्रदान करना

- आम लोगों के सर्वोत्तम हितों में उद्योग निर्माण और संचालन
- आर्थिक शक्ति को कुछ ही हाथों में केंद्रित होने से रोकने के लिये कदम उठाना

इसी तरह के अन्य मामले कौन से हैं?


- **चौधरी टीका रामजी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामला, 1956:**
 - सर्वोच्च न्यायालय ने उद्योग (विकास और वनियमन) अधिनियम, 1951 (IDRA) की धारा 18-G के तहत विशेष केंद्रीय अधिकार क्षेत्र का दावा करने वाली चुनौती के खिलाफ गन्ना उद्योग को वनियमिति करने वाले उत्तर प्रदेश के कानून को बरकरार रखा।
 - इस निर्णय से केंद्र सरकार के कानूनों की उपस्थिति में भी उद्योगों के संबंध में कानून बनाने के राज्यों के अधिकार की पुष्टि होने के साथ संघीय शासन के लिये मसाल कायम हुई।
- **सथिटक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामला, 1989:**
 - इसमें सात न्यायाधीशों की संवधान पीठ ने माना कि राज्य सूची की प्रविष्टि 8 के अनुसार राज्यों की शक्तियाँ "मादक शराब" को वनियमिति करने तक सीमित हैं, जो औद्योगिक शराब से अलग हैं।
 - मूलतः सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केवल केंद्र ही औद्योगिक अल्कोहल (जो मानव उपभोग के लिये नहीं है) पर शुल्क या कर लगा सकता है।
 - सर्वोच्च न्यायालय वर्ष 1956 में चौधरी टीका रामजी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में अपनी ही पूर्व संवधान पीठ के निर्णय पर विचार करने में विफल रहा।

इस निर्णय का क्या प्रभाव होगा?

- **लंबित मुकदमे:** इस निर्णय से राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए सुरक्षात्मक करों या विशेष शुल्कों से संबंधित चल रहे मुकदमें प्रभावित होंगे क्योंकि पूर्व के निर्णयों में ऐसे शुल्कों पर रोक लगा दी गई थी।
- **राज्यों की नियामक शक्ति:** अब राज्यों के पास औद्योगिक अल्कोहल के वनियमन और करायन का अधिकार है, जिससे राज्यों में विभिन्न कर व्यवस्थाएँ लागू होने की संभावना है।
- **राजस्व सृजन:** राजस्व स्रोतों को बढ़ाने के लिये राज्य इस निर्णय का लाभ (विशेष रूप से GST के बाद) उठा सकते हैं, क्योंकि पहले उन्हें औद्योगिक अल्कोहल पर कर लगाने से प्रतिबंधित किया गया था।
- **उद्योग जगत का दृष्टिकोण:** उद्योग इस फैसले को सकारात्मक रूप से देख रहे हैं और उनका सुझाव है कि इससे भारत में निर्मित विदेशी शराब (IMFL) क्षेत्र के लिये वनियामक नियंत्रण और करायन स्पष्ट होने से निरमाताओं के लिये अस्पष्टता कम हो गई है।
- **परिचालन लागत:** संभवतः राज्य औद्योगिक अल्कोहल पर कर बढ़ा सकते हैं, जिससे इस पर निर्भर उद्योगों की परिचालन लागत प्रभावित होगी, जिससे मूल्य निर्धारण में असमानता पैदा हो सकती है।

नष्कर्ष

- सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले से राज्यों को औद्योगिक शराब को वनियमिति करने का अधिकार मिलने से उन्हें कर लगाने तथा उत्पादन और वितरण पर स्थानीय नियंत्रण बढ़ाने की अनुमति मिल गई है।
- यह निर्णय GST के बाद राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को मज़बूत करता है, अवैध उपभोग को रोकने के लिये सख्त वनियमन को सक्षम बनाता है तथा इससे स्थानीय लोक स्वास्थ्य प्रभावों के प्रबंधन में राज्यों के वधायी अधिकारों पर प्रकाश पड़ता है।



प्रश्न: भारत में राज्यों के राजस्व सृजन एवं लोक स्वास्थ्य प्रबंधन के आलोक में औद्योगिक अल्कोहल के वनियमन से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले के नहितार्थों पर चर्चा कीजिये।